

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 के अनुसार प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी-I/II/III) वेतनमान (9300-34800/15600-39100) में निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र. स.	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि		प्रथम/द्वितीय व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री नारायण लाल स्वामी, रामावि नं.-2, पं.स. लाडनूं जिला नागौर	से.नि. प्र0अ0	14-09-1950	23-12-1978	20 YEAR	31-08-2006	01-09-2006	5400

एसीपी स्वीकृत किए जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर 26-ए का लाभ नहीं दिया गया है तो उक्त लाभ देय होगा।

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-3/एसीपी/2021/13

दिनांक : 02-11-2023

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय), नागौर
2. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पं.स. लाडनूं, जिला नागौर
3. प्रधानाध्यापक, रामावि नं.-2, पं.स. लाडनूं जिला नागौर
4. नारायण लाल स्वामी, प्रधानाध्यापक, रामावि नं.-2, पं.स. लाडनूं जिला नागौर
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर